न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 निगरानी निग -2119-PBR-16

श्री दिनेश व्यास अभि० द्वारा दिनांक 24-6-16 को उ० ... पर प्रस्तुत

24.6.16

रेशमबाई पति नवलसिंह, आयु–70 वर्ष,

निवासी–ग्राम केसुनी, तहसील व जिला उज्जैन

.......आवेदक

---विरूद्ध--

1– राजेश पिता देवनारायण

2– विजय पिता देवनारायण

निवासी–ग्राम केसुनी तहसील व जिला उज्जैन

.........अनावेदक

<u>पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता</u>

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय नायब तहसीलदार उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 2/अ–13/15–16 में पारित आदेश दिनांक 20/06/16 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (रेशमबाई / राजेश)

जिला उज्जैन

प्रकरण क्रमांक R 2119 –पीबीआर / 16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28–6–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार जिला उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन रास्ते के संबंध में पूर्व में प्रकरण प्रचलित होकर निराकृत हो चुका है, अतः यह आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है । इस संबंध में नायब तहसीलदार द्वारा विस्तृत विवेचना कर इस निष्कर्ष के साथ आवेदन पत्र निरस्त किया गया किया है कि प्रकरण में बिना स्थल निरीक्षण किये और उभयपक्ष के द्वारा विषयवस्तु स्पष्ट किये बिना प्रकरण का निराकरण उचित प्रतीत नहीं होता है । नायब तहसीलदार द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही प्रथमदृष्टया विधिसंगत होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	